RERA - हरियाणा ने कंट्रीवाइड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगाया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (HRERA), गुरुग्राम** ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिये **कंट्रीवाइड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 50 लाख रुपए का जुर्माना** लगाया है।

मुख्य बिंदु:

- प्राधिकरण के अनुसार, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की **धारा 11(2) और 13(1) के तहत** अनिवार्य प्रावधानों के बावजूद प्रमोटर ने **विज्ञापन में विवरण का उचित तरीके से वर्णन नहीं किया**, जो **अधिनियम की धारा 61 के तहत एक दंडनीय अपराध** है।
- कंट्रीवाइड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, वर्ष 2021 में RERA पंजीकरण प्राप्त करने के बाद दीन दयाल जन आवास योजना **अफोर्डेबल प्लॉटेड हाउसिंग पॉलिसी- 2016** के तहत एक **किफायती प्लॉटेड कॉलोनी विकसित कर रहा है**।

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (HRERA)

- **रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016** के तहत, हरियाणा सरकार ने **हरियाणा रियल एस्टेट** (विनियमन और विकास) नियम, 2017 को अधिसूचित किया है जो 28 जुलाई 2017 से लागू हुआ।
- इसके **उद्देश्य** इस प्रकार हैं:
    - इसके सामंजस्यपूर्ण विकास के लिये रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करना।
    - रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रमोटरों और अपार्टमेंट के खरीदारों के बीच लेन-देन में पारदर्शिता लाना।
    - यह सुनिश्चित करना कि रियल एस्टेट परियोजनाएँ निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी हो जाएँ।
    - परियोजनाओं से संबंधित विवादों को शीघ्रता से हल करना।
    - कानून के प्रावधानों और प्राधिकरण के आदेशों को लागू करना।

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (RERA),

- यह वर्ष 2016 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो **1 मई, 2017 से पूरी तरह से लागू** हुआ।
- इसका उद्देश्य रियल एस्टेट की बिक्री/खरीद में दक्षता और पारदर्शिता लाकर **घर-खरीदारों की सुरक्षा** के साथ-साथ **रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा** देना है।
- यह अधिनियम **रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन** के लिये प्रत्येक राज्य में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) की स्थापना करता है और शीघ्र **विवाद समाधान के लिये एक निर्णायक निकाय** के रूप में भी कार्य करता है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/haryana-rera-imposes-penalty-on-countrywide-promoters